मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय
कार्यालयः टैगोर छात्रावास क्रमाँक टी–2, श्यामला हिल, भोपाल–462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755–2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2018 / 343 दिनांक– 28/3/18

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / संचालक / प्राचार्य,
(निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं)
मध्यप्रदेश।

विषय– प्रदेश के निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के आगामी ब्लॉक के अर्थात् सत्र 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 के शुल्क विनियमन के संबंध में।

संदर्भ– 1. इस सचिवालय का सूचना पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2018 / 74 दिनांक 23.01.2018.
2. इस सचिवालय का सूचना पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2018 / 75 दिनांक 23.01.2018.
3. इस सचिवालय का सूचना पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2018 / 223 दिनांक 23.02.2018.
4. इस सचिवालय का सूचना पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2018 / 225, 227 एवं 229 दिनांक 23.02.2018

***

उपरोक्त विषयांतर्गत ऊपर वर्णित संदर्भित पत्र सरल क्रमांक–1 एवं 3 के माध्यम से प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं के द्वारा संचालित एवं किसी नियामक / निकाय यथा एम.सी.आई., डी.सी.आई., एन.सी.आई., सी.सी.आई.एम. पी.सी.आई. ए.आई.सी.टी.ई., एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आगामी तीन साल के ब्लाक अर्थात् **सत्र 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21** के शुल्क विनियमन एवं ऊपर वर्णित संदर्भित पत्र सरल क्रमांक–2 एवं 4 के माध्यम से प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों के सत्र 2018–19 के शुल्क विनियमन / पुर्नविनियमन के संबंध में ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से दिनांक 28.03.2018 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

इस संबंध में संबंधित संस्थायों के द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से जानकारी भरे जाने में कठिनाई होने के कारण फार्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाये जाने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्रों को माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा संज्ञान में लिया गया एवं दिये गये निर्देशानुसार संस्थाओं के द्वारा किये गये निवेदन के अनुरूप ऑनलाईन फार्म भरने की तिथि को दिनांक 06.04.2018 तक बढ़ाई जाती है। संस्थाएं उक्त संशोधित अंतिम तिथि तक ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से पूर्व मे दिये गये निर्देशों के अनुरूप फार्म भरने की कार्यवाही पूर्ण करें।

संदर्भित पत्रों में दिये गये निर्देशों के अनुरूप संस्थायें दिनांक 06.04.2018 तक ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन पत्र एवं निर्धारित प्रोफार्मा अपलोड कर भरे हुये प्रोफार्मा के प्रिन्ट आउट प्राप्त कर दिनांक 10.04.2018 तक समिति, सचिवालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उपरोक्त दर्शाई तिथियों के पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों को समिति द्वारा विचार नहीं किया जावेगा एवं एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही संभावित है।

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव / विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी

पृ.क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2018 / दिनांक –

प्रतिलिपि–1. माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालक निदेशक, क्रिस्प, श्यामला हिल्स, भोपाल को इस टीप के साथ कि इस सूचना को समिति सचिवालय के वेबपोर्टल के होमपेज पर अपलोड करते हुये संबंधित संस्थाओं को भी सूचित करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव / विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी